

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

पटना, दिनांक ०४/११/२०१६

संख्या-३/विविध-०१-१४/२०१४ ६२९(३) /स्वा०, स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग के डा० सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जमुई को अपने कार्यों के अतिरिक्त असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जमुई का अतिरिक्त प्रभार (वित्तीय सहित) एवं बिहार कोषागार संहिता, २०११ के नियम ८४ के तहत अगले आदेश तक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया जाता है ।

२. सिविल सर्जन के पदस्थापन होने के उपरान्त यह व्यवस्था स्वतः समाप्त समझा जायेगा।


ह०/—

(शेखर चन्द्र वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-३/विविध-०१-१४/२०१४ ६२९(३) /स्वा०, पटना, दिनांक ०४/११/२०१६

प्रतिलिपि, महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, सचिवालय मुद्रणालय (प्रशाखा) वित्त विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना/जिलाधिकारी, जमुई/क्षेत्रीय अपर निदेशक, मुंगेर प्रमंडल मुंगेर/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जमुई/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि, माननीय मंत्री स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/प्रशाखा पदाधिकारी, २, ३, ७, ८, ९, १० एवं १२/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।


०४.११.२०१६
सरकार के संयुक्त सचिव